प्रेस नोट थाना हरपुर बुदहट दिनांक 19-05-2021

जनपद गोरखपुर में अपराध रोकथाम हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के दिशा-निर्देश में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदया के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे उनि0 आशीष कुमार तिवारी मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व मु0अ0सं0 18/21 धारा 364 भा0द0वि0 की विवेचना मे मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद आदिल खान पुत्र वसीम खान निवासी बनकेपुर थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर भीटीरावत चौराहे के पास स्थित राही बटोही रेस्टोरेन्ट में खाना खाने के लिए मौजूद है जो डार्क नीले कलर का टी-शर्ट तथा काले रंग का लोवर पहना है। अगर जल्दी करे तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके मै उ0नि0 मय हमराहियान मय मुखबीर के साथ भीटीरावत चौराहे के पास स्थित राही बटोही रेस्टोरेन्ट पर पहुचाँ मुखबीर द्वारा इशारा कर बताया गया। साहब वही व्यक्ति जो राही बटोही रेस्टोरेन्ट के बाहर खड़ा है बता कर हट जाने के बाद अभियुक्त को हम पुलिस वालो द्वारा घेरघार कर हिकमत अमली से पकड़ लिया गया तथा पकड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोहम्मद आदिल खान पुत्र वसीम खान निवासी बनकेपुर थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर बताया। उसके जुर्म धारा 364 भादवि0 का अपराध बता कर हिरासत पुलिस में समय करीब 10.20 बजे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण —</u> प्रतिवादीगण के बुलाने पर खुद के पुत्र के घर से निकलने तथा अभी तक कोई पता न चलने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी श्री शिवसागर पुत्र स्व0 रामदरश सिंह निवासी- ग्राम किसहरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 06.03.2021 को मु030सं0 18/21 धारा-364 भादिव0 विरूद्ध बनाम 1. प्रीति पत्नी आदिल खान, 2. आदिल खान पुत्र वशीद खान निवासीगण-अज्ञात के पंजीकृत हुआ था आज दिनांक 19.05.21 को उक्त मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

मोहम्मद आदिल खान पुत्र वसीम खान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बनकेपुर थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण:-

मु0अ0सं0 18/21 धारा 364 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

भीटीरावत चौराहे के पास स्थित राही बटोही रेस्टोरेन्ट सहजनवां व दिनांक 19.05.2021 समय 10.20 बजे

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगणः-

- 1. उ0नि0 श्री आशीष कुमार तिवारी थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर
- 2. का० आकाश सिंह थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर
- 3. का० शुभम कुमार थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर